FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

भैराराम बनाम सुमनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धा. आ.1997 / 111, 128 RLR Act नं. 89 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.3.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भारवा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12.3.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12.3.18	प्रार्थी वकील उप0। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु0। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो के चारो तरफ पक्के नेजक स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नेजकबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो के पक्की नेजकबंदी मौके पर शुल्क जमाकरवाकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2018 / 358 दिनांकः–12 / 03 / 2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भैराराम पुत्र अचलाराम वगैरा 4 जाति जाट निवासी सांईयों का तला (लूनाड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. गुमनाराम पुत्र पूर्णाराम वगैरा 10 जाति जाट निवासी सांईयों का तला लूनाड़ा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 89 / 18

आदेश

मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का लूनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1759 / 1670 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1758 / 1670 रकबा 41 बीघा 17 बिस्वा की भूमि के चारों तारफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमा ज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु

कमांक / वाद / 2018 / 359 – 363 दिनांकः– 12 / 03 / 2018

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी लूनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भैराराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री गुमनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु

Scanned by CamScanner